

श्रीमान् सदस्य महोक्तम् प० प्र० राजस्व मण्डल गवालियर, सर्किट कॉर्ट रीवा  
निरानी प्रकरण



प० १५।—

R5453-II/16

१- ज्यप्रसाद वैश्य तन्य वैशमणि दुसाद

२- रामजनम वैश्य तन्य वैशमणि प्रसाद

३- रामराज्य तन्य ज्य प्रसाद वैश्य

अधिनीती रजनीति  
उत्तर प्रेस | ६-४-१६  
कलंक आफ कोटे  
रामस्व मण्डल प० प्र० गवालियर  
(सर्किट कॉर्ट) दिन

४- राम कैलाश तन्य ज्य प्रसाद वैश्य सभी निवासीगण राम गरीबीवस्ती,  
त रहसील चिक्की सो जिला सिंगराली प० प्र० — — — आवेदकाण विराकाशण

विरुद्ध

१- जामन्ती पुत्री संगम लाल पत्नी वदुआराम वैश्वार

निवासी ग्राम भरुगढ़, तहसील देवसर जिला सिंगराली प० प्र०

२- गैवती पुत्री संगमलाल पत्नी गैवती वैश्वार, निवासी ग्राम लट्टन

तहसील सिंचासो जिला सिंगराली प० प्र०

३- श्रीमती अजाया पत्नी स्व० रमाश्वर वैश्वार निवासी ग्राम गोखा,  
तहसील चिक्की सो जिला सिंगराली प० प्र० — — ना० गरीबिराकाशण

निरानी विरुद्ध आक्रो वायब तहसीलार

तहसील चिक्की वृत्त बुधमनिया जिला सिंगराली

दिनांक ४-८-१६ बावत प्रकरण क्रमांक ४५३७४

० १४-१५।

अन्तर्गत घारा ५० प० प्र० मूराज्य संहितसन १९५९

पात्रवर, निरानी के आधार निम्नलिखित है:-

१- यहां अधीनस्थ व्यायालय का आक्रो विधि प्रक्रिया व अधिलेख के

रामज/नम्ह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रावालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

४७

प्रकरण क्रमांक R5453-II/16

जिला—सिंगरौली

जयप्रसाद वैश्य/ जगमन्ती वैसवार

| (1)     | (2)   | (3) |
|---------|---|-----|
| ०५ ०४ ७ | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नां० तहसीलदार, वृत्त दुधमनिया तहसील चितरंगी के प्रकरण क्रमांक 45/अ-74/2014-15 एवं में पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25. 09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी)<br/>सदस्य</p> |     |